पत्रांक –3/एम०–17/2021सा0प्र0...1790.../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

गुफरान अहमद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

पुलिस महानिदेशक

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक ....17-6-.... 2022

विषय– सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 के तहत संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–10000 दिनांक–10.07.2015 द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को विभिन्न विभागों/कार्यालयों के पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। संविदा पर नियोजित कर्मियों के पदीय शक्तियों के संबंध में उक्त संकल्प की कंडिका–4 का प्रावधान निम्नवत् है–

"4. संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।"

2. बिहार पेंशन नियमावली के नियम—43(ख) (समय—समय पर यथासंशोधित) का प्रावधान निम्नवत् है—

(ख) नियुक्ति प्राधिकार को पेंशन या उसके किसी अंश को रोक रखने या वापस लेने का अधिकार है चाहे स्थायी रूप में या विशिष्ट अवधि के लिए। यदि न्यायिक या विभागीय कार्यवाही से कोई सरकारी सेवक घोर कदाचार का दोषी साबित हो अथवा सरकारी सेवक के सेवाकाल या पुनर्नियुक्ति की अवधि में उसकी उपेक्षा धोखे से राज्य सरकार को आर्थिक हानि पहुँची है, तो नियुक्ति प्राधिकार उस सरकारी सेवक के पेंशन से उस हानि की पूरी या आंशिक क्षति की राशि वसूल कर सकती है।

3. उपर्युक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि पुनर्नियोजन अवधि में घोर कदाचार/अवचार के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम—43(ख) के प्रावधान के तहत संबंधित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जा सकती है।

4. वर्णित तथ्यों के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि—

"सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक—10000 दिनांक—10.07.2015 के तहत संविदा पर नियोजित सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों की पुनर्नियोजन अवधि में प्रतिवेदित घोर कदाचार/अवचार के लिए संबंधित कर्मचारी/पदाधिकारी पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम—43(ख) का प्रावधान प्रभावी होगा तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की जा सकती है।

5. उपर्युक्त स्पष्टीकरण पर विधि विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

16/6/20

(गुफरान अहमद)
सरकार के उप सचिव।